भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001**

सं. ईसीआई/प्रेस.नोट/7/2017 **दिनांकः 08 जनवरी, 2017**

प्रेस नोट

विषयः- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में आगामी विधान सभा निर्वाचनों के लिए व्यय प्रेक्षकों को ब्रीफ करना।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त डा. नसीम ज़ैदी, निर्वाचन आयुक्त श्री ए.के. जोति और निर्वाचन आयुक्त श्री ओ.पी. रावत ने **8** जनवरी, **2017** को नई दिल्ली में हुई ब्रीफिन्ग बैठक में आई.आर.एस., आई.सी एण्ड सीईएस, आईआरएएस, आईडीएएस, आईसीएएस और आईए एण्ड एएस जैसी विभिन्न सेवाओं से लिए गए व्यय प्रेक्षकों को आगामी विधानसभा निर्वाचनों के बारे में ब्रीफ किया।

व्यय प्रेक्षको को सम्बोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त डा. नसीम ज़ैदी ने आयोग द्वारा जारी नए अनुदेशों को जानने और उन्हें क्रियान्वित करने पर जोर दिया। उन्होने जोर देकर कहा कि पारदर्शिता के लिए किसी भी अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल द्वारा **20,000**/- रुपये से अधिक का दान नकदी में नहीं होना चाहिए और यह भी कि यदि निर्वाचन की अवधि के दौरान किसी अभ्यर्थी या फर्म आदि को **20,000**/- रुपये से अधिक का भुगतान किया जाता है, तो यह केवल आदाता लेखा चेक **(**अकाउंट पेयी**)** के द्वारा ही होना चाहिए। उन्होने अभ्यर्थियों के लिए इस आवश्यकता को दोहराया कि वे नाम निर्देशन के समय एक अलग बैंक खाता खुलवाएं और इसी विशिष्ट खाते से ही समस्त निर्वाचन सम्बंधी व्यय करें।

उन्होनें पिछले वर्ष में सम्पन्न हुए विधान सभा निर्वाचनों में व्यय प्रेक्षकों के प्रयासों की प्रशंसा की जिसके कारण बहुत बड़ी जब्तियां की गई और इसके परिणामस्वरूप निर्वाचकों के बीच विश्वास बढ़ा तथा जिला निर्वाचन तन्त्र द्वारा अनुमति प्रक्रिया एंव लेखा टीम के बीच उपयुक्त समन्वय बनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

निर्वाचन आयुक्त, श्री ए.के. जोति ने बल देते हुए कहा कि मतदान दिवस को मतदाता पर्चियां बांटने के लिए अभ्यर्थियों के बूथों पर किए गए व्यय को अभ्यर्थी के खाते में लेखाबद्ध किया जाए।

निर्वाचन आयुक्त, श्री ओ.पी. रावत ने अभ्यर्थियों के या उनकी प्रायोजित पार्टियों के स्वामित्व वाले समाचार-पत्रों और चैनलों के भेदभाव पूर्ण इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की और आयोग द्वारा जारी नए अनुदेशों का संदर्भ दिया कि इस पर होने वाले व्यय को अधिसूचित दर सूची के अनुसार अभ्यर्थी के खाते में शामिल किया जाए।

भारत निर्वाचन आयोग व्यय प्रेक्षकों को ब्रीफ करते हुए

व्यय प्रेक्षकों को उप-निर्वाचन आयुक्त, श्री उमेश सिन्हा, श्री विजय देव, महानिदेशक, श्री दिलीप शर्मा, श्री सुदीप जैन, निदेशक, श्री धीरेन्द्र ओझा और श्री विक्रम बत्रा ने भी सम्बोधित किया। प्रेक्षकों को निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दिया गया और निर्वाचनों के आयोजन, आयोग द्वारा की गई जागरूकता पहल जैसे मुद्दों तथा मतदान होने वाले राज्यों के सामने आ रहे कानून और व्यवस्था के मुद्दों का भी उल्लेख किया।

इस ब्रीफिंग में विधि सलाहकार, श्री एस.के. मेहन्दीरत्ता और प्रधान सचिव श्री एस.के रूडोला तथा आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

निर्वाचन आयोग ने मतदान होने वाले पांच राज्यों में लगभग दो सौ व्यय प्रेक्षकों को तैनात किया है।

(धीरेन्द्र ओझा)
निदेशक